प्रस्तावना

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उत्पादन स्टेशनों से लोड केन्द्रों तक विद्युत के अबाध प्रवाह हेतु अंतर्राज्यीय प्रेषण लाईनों की दक्ष, समन्वित व मितव्ययी प्रणाली का विकास सुनिश्चित करने हेतु अधिदेशित है। प्रेषण सेवा प्रदाता विद्युत के उत्पादक एवं वितरक के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और एक दक्ष व प्रभावी प्रेषण नेटवर्क विद्युत के उत्पादन व अनुप्रयोग को सुगम बनाता है। प्रेषण नेटवर्क में कमियाँ तथा प्रेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब से न केवल पीजीसीआईएल को राजस्व हानि हो सकती है अपितु यह विद्युत की निकासी में अवरोध का कारण भी हो सकता है। दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक क्षमता वाली प्रेषण लाईनों के निर्माण या प्रेषण उपकरणों में अस्वाभाविक अतिरिक्त उपकरणों से लाभार्थियों तथा सामान्य जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, पीजीसीआईएल द्वारा 12वीं योजना (2012-17) के दौरान प्रेषण परियोजनाओं की आयोजना व कार्यान्वयन की प्रभावकारिता तथा मार्च 2018 तक प्रेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की स्थिति का आकलन करने हेतु निष्पादित लेखापरीक्षा की गई। यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों व लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अनुसरण में तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पीजीसीआईएल तथा विधुत मंत्रालय से प्राप्त सहयोग हेतु लेखापरीक्षा धन्यवाद व्यक्त करता है।